प्रेस विज्ञप्ति
07.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 3.06 करोड़ रुपये की कीमत की 05 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां कृषि भूमि/प्लॉट के रूप में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी संपत्तियां मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धोखाधड़ी संबंधी विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के दोनों निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और महेश कुमार तुलसियानी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इस मामले में आरोप लगाया गया कि मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फ्लैटों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है, ने चार खरीदारों को धोखा दिया, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), लखनऊ से कुल 4.63 करोड़ रुपये का गृह ऋण लिया था, जिसे चुकाया नहीं गया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उपरोक्त उधारकर्ताओं द्वारा बुक किए गए 4 फ्लैटों को कुल 4.63 करोड़ रुपये (लगभग) की ऋण राशि के लिए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर ऋणदाता बैंक के पास बंधक रखा गया था। **बिल्डर** ने बैंक से सीधे ऋण की पूरी राशि प्राप्त की। हालाँकि, ये फ्लैट न तो खरीदारों को दिए गए, न ही बैंक को जब ऋण चुकाया नहीं गया।

इसके अलावा, बिल्डर कंपनी मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी संबद्ध कंपनियों के खिलाफ कुछ अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई हैं और उनकी जांच उ.प्र. पुलिस द्वारा की जा रही है।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने पीएनबी के लोन फंड को अपने दूसरे खातों और ग्रुप कंपनियों में डायवर्ट कर दिया और फ्लैट्स के खरीदारों को मुश्किल में डाल दिया। निकाली गई रकम का इस्तेमाल उनके दूसरे कर्ज चुकाने में किया गया और फ्लैट्स कभी भी खरीदारों को नहीं दिए गए। ईडी ने समान मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क की हैं।

आगे की जांच जारी है।